

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/25/ ६१७।

अधिसूचना

दिनांक: 25/03/2025

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानकों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित ग्राम पंचायत क्षेत्र को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती हैः—

क्रं.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगर पालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	ब्यावर	रायपुर	ग्राम पंचायत रायपुर के राजस्व ग्राम रायपुर, लक्की तालाब, कपुरडी, देवला एवं खींवल का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र। (जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या — 16,130)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट घोषणा 2025–26 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रायपुर, जिला ब्यावर के राजस्व ग्राम रायपुर, लक्की तालाब, कपुरडी, देवला एवं खींवल को सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्लित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका रायपुर की स्थानीय सीमाएं रहेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
दिनांक: 25/03/2025

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/25/ ६१७२ – ६२००

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सचिवालय जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग/पंचायत राज० विभाग जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर
- संभागीय आयुक्त, अजमेर/जिला कलक्टर ब्यावर, राजस्थान।
- सचिव, /उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
- निदेशक/अधीक्षक, लेखन एंवं मुद्रण सामग्री विभाग, राज० जयपुर को राज. राजपत्र के भाग 6 (क) के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
- निदेशक जनगणना विभाग, राज० जयपुर।
- निदेशक, पंचायती राज विभाग, राज० जयपुर।
- निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज'. जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक/वित्तीय सलाहकार निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
- मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
- उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
- जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
- नोडल अधिकारी वेवसाईट निदेशालय को वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- सरपंच/उप सरपंच/सदस्य, ग्राम पंचायत रायपुर, जिला ब्यावर।
- वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय को लेख है कि प्रकरण में केवियट दायर करें।
- सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव